



भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, भोपाल

शुद्धिपत्र – भोपाल के टीला जमालपुरा स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिशेष संपत्ति का विक्रय

भारतीय रिज़र्व बैंक के टीला जमालपुरा, भोपाल स्थित संपत्ति में लीज़होल्ड अधिकारों एवं हितों को विक्रय के माध्यम से हस्तांतरित करने संबंधी [दिनांक 22 सितंबर 2026 के प्रस्ताव हेतु अनुरोध \(RFP\)](#) के संदर्भ में तथा एक संभावित बोलीदाता से प्राप्त पूर्व-बोली प्रश्नों के उत्तर में निम्नलिखित स्पष्टीकरण/संशोधन जारी किए जाते हैं। यह शुद्धिपत्र प्रस्ताव हेतु अनुरोध का अभिन्न भाग होगा। किसी भी असंगति की स्थिति में, असंगति की सीमा तक इस शुद्धिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।

क) मौजूदा बकाया राशि एवं देयताएँ

बैंक के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, संपत्ति के संबंध में वर्तमान में कोई बकाया राशि/देयता दर्ज नहीं है, जिसमें लीज़ किराया भी शामिल है। जैसा कि बैंक के पास उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है बैंक को संपत्ति के संबंध में किसी प्राधिकरण/व्यक्ति से कोई मांग, नोटिस, वसूली संबंधी कार्यवाही, कुर्की, प्रभार, धारणाधिकार (लियन) अथवा अन्य दावा प्राप्त नहीं हुआ है। बैंक की जानकारी में संपत्ति के विरुद्ध कोई बकाया राशि या दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, सफल बोलीदाता के साथ हस्तांतरण/विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने की तारीख तक की अवधि से संबंधित कोई भी बकाया राशि या देयता, यदि हो, बैंक द्वारा वहन की जाएगी। यह स्पष्टीकरण सफल बोलीदाता के उस दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा जिसके अंतर्गत उसे प्रस्ताव हेतु अनुरोध के विभिन्न खंडों के अनुसार लागू एवं उसके द्वारा देय हस्तांतरण/समनुदेशन-संबंधी शुल्क वहन करने होंगे, जिनमें लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, नगर निगम कर, उपकर, हस्तांतरण/समनुदेशन शुल्क, प्रीमियम तथा हस्तांतरण से संबंधित अन्य व्यय/शुल्क, जैसा लागू हो, शामिल हैं।

ख) कब्ज़ा सौंपे जाने के बाद की देयताएँ

सफल बोलीदाता के साथ हस्तांतरण/विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से संबंधित आवर्ती बकाया राशि एवं देयताएँ सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएँगी।

ग) म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (MPHIDB) / पट्टा-संबंधी शुल्क एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र

बैंक के अभिलेखों के अनुसार कोई पट्टा किराया बकाया नहीं है। प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), बैंक के अधिकारों एवं हितों के प्रस्तावित हस्तांतरण के लिए वैध है। तथापि, हस्तांतरण/समनुदेशन शुल्क, प्रीमियम अथवा अनर्जित वृद्धि, सहमति/अनुमति शुल्क, विकास/सुधार शुल्क अथवा हस्तांतरण/समनुदेशन या किसी प्रस्तावित भावी विकास के संबंध में MPHIDB अथवा किसी सक्षम प्राधिकरण को देय अन्य राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। बोलीदाता ऐसे शुल्कों/आवश्यकताओं की प्रयोज्यता एवं राशि का स्वतंत्र रूप से MPHIDB अथवा अन्य संबंधित सक्षम प्राधिकरणों से पता लगाएगा। हस्तांतरण/समनुदेशन पर लागू शुल्क प्रस्ताव हेतु अनुरोध के विभिन्न खंडों के अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएँगे।

घ) पूर्व में किए गए पुनर्विकास कार्य

अधिग्रहण के बाद से बैंक ने संपत्ति का कोई पुनर्विकास नहीं किया है; केवल रखरखाव-संबंधी कार्य किए गए हैं। बोलीदाता किसी भी प्रस्तावित पुनर्विकास/निर्माण की अनुमेयता एवं आवश्यकताओं का स्वतंत्र रूप से MPHIDB तथा सक्षम नियोजन/भवन प्राधिकरणों से पता लगाएगा।

च) विविध लेनदारों/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के दावे

संपत्ति के संबंध में विविध लेनदारों, विक्रेताओं अथवा आपूर्तिकर्ताओं के कोई दावे वर्तमान में बैंक की जानकारी में नहीं हैं और न ही बैंक के अभिलेखों में दर्ज हैं। सफल बोलीदाता के साथ हस्तांतरण/विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने की तारीख तक की अवधि से संबंधित देय राशि/दावे, यदि कोई हों, बैंक द्वारा वहन किए जाएंगे।

छ) प्रस्ताव हेतु अनुरोध के खंड 15 के संबंध में स्पष्टीकरण

प्रस्ताव हेतु अनुरोध के खंड 15 को इस शुद्धिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन पढ़ा जाएगा। तदनुसार, खंड 15 में निहित सामान्य अस्वीकरण के बावजूद, सफल बोलीदाता के साथ हस्तांतरण/विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने की तारीख तक की अवधि से संबंधित बकाया राशि/देयताएँ, यदि कोई हों, बैंक द्वारा वहन की जाएँगी; जबकि उसके बाद उत्पन्न होने वाली आवर्ती बकाया राशि/देयताएँ सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएँगी। सफल बोलीदाता प्रस्ताव हेतु अनुरोध के विभिन्न खंडों के अनुसार लागू एवं उसके द्वारा देय हस्तांतरण/समनुदेशन-संबंधी शुल्क वहन करेगा तथा हस्तांतरण/समनुदेशन या किसी प्रस्तावित भावी विकास से संबंधित शुल्कों, अनुमतियों अथवा आवश्यकताओं की स्वतंत्र रूप से MPHIDB एवं सक्षम प्राधिकरणों से पुष्टि करेगा।

2. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का विस्तार

बोली प्रस्तुत करने की वर्तमान अंतिम तिथि एवं समय, अर्थात् 21 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे, से बढ़ाकर 28 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे किया जाता है। तदनुसार, प्रस्ताव हेतु अनुरोध में "बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी" शीर्षक के अंतर्गत दी गई तालिका को निम्नानुसार संशोधित माना जाएगा:

विवरण	संशोधित तिथि एवं समय
प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि	28 अक्टूबर 2026, अपराह्न 03:00 बजे
प्रस्ताव खोलने की तिथि (कवर I और II)	28 अक्टूबर 2026, अपराह्न 03:30 बजे

3. यह शुद्धिपत्र बोली दस्तावेज का भाग होगा।

4. बोली दस्तावेज के अन्य सभी नियम, शर्तें एवं विनिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

5. उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी संभावित बोलीदाताओं की जानकारी हेतु जारी किया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय